UPMZ010080872026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मुजफफरनगर

उपस्थित : बीरेन्द्र कुमार सिंह, एच.जे.एस.

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 3133 सन 2026

1.शमशुददीन पुत्र सलीमुददीन
3. शुएब पुत्र सलाउददीन
3. चांद पुत्र सलीमुददीन
निवासीगण ग्राम फुलत थाना रतनपुरी
जनपद मुजफफरनगर

—आवेदकगण/अभियुक्तगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

—विपक्षी

अपराध संख्या—56 सन 2026
धारा—109 (1), 191 (2), 191(3), 115(2), 351(3), 352, 333 भारतीय न्याय संहिता
थाना—रतनपुरी
जनपद— मुजफ्फरनगर

10.07.2026

प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से मामले में इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि, आवेदकगण/अभियुक्तगण ने कोई अपराध कारित नहीं किया है बल्कि उन्हें इस मामले में रंजिश के कारण झूठा फँसाया गया है। यह भी कहा गया है कि कथित चुटैल को साधारण प्रकार की चोटें हैं तथा जो भी मैडिकल दाखिल किया गया है वह फर्जी चोटें बनवाकर दाखिल किया है। इस आधार पर आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्व धारा 109 (1) भारतीय न्याय संहिता का कोई अपराध नहीं बनता है।

इसी प्रकार यह भी कहा गया है कि जिस हथियार को आवेदकगण/अभियुक्तगण के हाथ में होना बताया गया है उसकी कोई चोट चुटैल को नहीं है। अंत में कहा गया है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण कभी भी किसी संज्ञेय या असंज्ञेय अपराध में जेल नहीं गये है। वे समाज का सम्मानित व्यक्ति हैं। जेल जाने से उनका सम्मान व यश तथा प्रतिष्ठा को चोट पहुचेगी। यह भी कहा गया है कि सह अभियुक्त कैफ की नियमित जमानत इस न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। इस प्रकार अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी। समर्थन में शपथ पत्र, प्रति शपथ पत्र चांद,

Digitally signed by BIRENDRA KUMAR SINGH
Date: 2026.07.10 19:20:21 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

चिक एफआईआर की प्रति व सह अभियुक्त कैफ का जमानत संबंधी आदेश की प्रति दाखिल की गयी है।

2. अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता दांडिक द्वारा अग्रिम जमानत का पुरजोर विरोध किया गया तथा कहा गया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्व गंभीर प्रकृति का आरोप है। वादी मुकदमा की ओर से उपस्थित विद्वान प्राईवेट अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध किया गया तथा वादी का जवाबी शपथ पत्र दाखिल करते हुए कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त का आपराधिक इतिहास है। उसके विरूद्व मुकदमा अपराध संख्या 2079 सन 2013 अंतर्गत धारा 25/4 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली पर दर्ज है जिसमें उसके विरूद्व कई बार गैर जमानतीय वारंट जारी हो चुके हैं। इसी प्रकार उसके विरूद्व वाद संख्या 2821 सन 2022 सरकार बनाम चांद अंतंर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट लंबित है जिसमें भी कई बार उसके विरूद्व गैर जमानतीय वारंट जारी हो चुके है। इसके अलावा उसके विरूद्व अपराध संख्या 38 सन 2026 धारा 191 (2), 191 (3), 190, 115 (2), 351 (3), 352, 333 भारतीय न्याय संहिता भी पंजीकृत है। यह भी कहा गया है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण ने सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर दिनांक 15.04.2026 को समय करीब सात बजे शाम वादी व चुटैल अलीम के घर में घुसकर धारदार हथियार बलकटी से चुटैल अलीम मलिक के सिर में जान से मारने की नीयत से चोटें पहुंचायी हैं तथा उसे 7 चोटें हैं जिनमें से तीन चोटें वाईटल पार्ट सिर में लगी है व एक चोट नाक पर लगी है जिससे नाक की हडडी का फ्रैक्चर आया है। पूरक आख्या में चोट को गंभीर प्रकृति की बताया गया है। यह भी कहा गया है कि चुटैल दिनांक 15.04.2026 से दिनांक 21.04.2026 तक जिला अस्पताल में भर्ती रहा है। चुटैल अलीम ने अपने बयान में घटना का समर्थन किया है। यह भी कहा गया है कि अभियुक्तगण चांद मलिक, शमसुददीन, सिराजुददीन व शोएब ने दिनांक 19.05.2026 को सिविल जज, सीनियर डिविजन न्यायालय संख्या 3 मुजफफरनगर में आत्मसमर्पण हेतु प्रार्थना पत्र दिया था जिसमें थाने से यह रिपोर्ट आयी थी कि अभियुक्तगण लगातार फरार हैं। यह भी कहा गया है कि सह अभियुक्त कैफ की जमानत जेल जाने के पश्चात हुई थी जबकि आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से अग्रिम जमानत की मांग की गयी है। इस प्रकार अपराध को गंभीर प्रकृति का बताते हुए अग्रिम जमानत निरस्त करने की मांग की गयी। समर्थन में अपराध संख्या 450 सन 2025 की चिक एफआईआर, अपराध संख्या 38 सन 2026 की चिक एफआईआर, कि. मिस. रिट पिटीशन संया 11032 सन 2026 सिराजुददीन व अन्य बनाम स्टेट आफ यूपी व चार अन्य में पारित आदेश दि. 15.05.2026 की प्रति, चुटैल अलीम की चिकित्सीय आख्या की प्रति, अलीम की डिस्चार्ज स्लिप की प्रति, पूरक आख्या की प्रति दाखिल की गयी है।

3. उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया तथा तलबीदा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया।

4. अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के संदर्भ में निम्न तथ्य विचारणीय हैं :–

1. अभियोग की प्रकृति एवं गंभीरता,

2. प्रथम सूचना रिपोर्ट की परिस्थिति,

3. अभियुक्त का पूर्ववृत्त, जिसमें यह तथ्य भी सम्मिलित है कि, क्या वह किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध पर पहले ही कारावास भुगत चुका है।

4. न्याय से भागने की संभाव्यता, और

5. जहां अभियुक्त को उसे इस प्रकार गिरफ्तार कराकर क्षति पहुँचाने या अपमानित के उद्देश्य से अभियोग लगाया गया हो।

6. सामाजिक स्थिति/जांच में सहयोग की प्रवृत्ति।

5. प्राथमिकी के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादी मुकदमा मौ. वसीम मलिक द्वारा घटना दिनांकित 15.04.2026 समय 19.00 बजे के संबंध में दिनांक 15.04.2026 को समय 22.59 बजे संबंधित थाना रतनपुरी पर प्राथमिकी आवेदकगण/अभियुक्तगण कैफ व 6 अन्य अभियुक्तगण को नामित करते हुए इस आशय की पंजीकृत करायी गयी कि दिनांक 15.04.2026 को वादी मुकदमा का भाई अलीम मलिक समय करीब सात बजे शाम अपने घर में अपनी मां व भाभी व बच्चों के साथ बैठा था। उनके सामने रहने वाले मौ0 कैफ अपनी मां जीनत के साथ उनके दरवाजे के सामने खडे होकर वादी के अब्बू शफीक को मां बहन की गालियां देते हुए कह रहा था कि वे अपने घर का दरवाजा उनकी तरफ ही निकालेंगे। जब वादी के भाई अलीम ने उससे कहा कि उस जगह का मामला कोर्ट में चल रहा है। जो कोर्ट का आदेश होगा मान लेंगे। इस पर मौ. कैफ व उसकी मां जीनत जोर जोर से गालियां देने लगी। शोर पर आसपास के लेागों ने समझा कर उन्हें घर भेज दिया। उसके थोडी देर बाद मौ. कैफ अपने साथ सिराजुददीन, सुएब, चांद, समसुददीन को लेकर वादी के घर में घुस आया और सभी लोग उसके भाई के साथ मारपीट करने लगे। सिराजुददीन, सुएब, चांद ने उसके भाई अलीम को पकड लिया और कैफ ने जान से मारने की नीयत से उसके भाई के सिर में सरिया मारा जिससे उसके भाई का सिर फट गया। जब घ ार की औरते चिल्लाई तो सभी लोग जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये। वादी की बैठक में उसकी मां बैठी थी। उसके साथ जीनत व सन्नो ने मारपीट कर दी। पता लगने पर वादी घर पहुंचा व देखा कि उसका भाई अलीम का सिर फटा हुआ है और वह खून से लथपथ है। वह गांव वालों की मदद से उसे थाना लाया है। पुलिस ने उसके भाई को ईलाज हेतु खतौली भिजवा दिया। रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

5. इस प्रकार अभियोजन कथानक के अनुसार घर के दरवाजे को लेकर हुए विवाद में आवेदकगण/अभियुक्तगण व सह अभियुक्तगण द्वारा सामान्य उददेश्य के अग्रसरण में वादी मुकदमा के भाई अलीम मलिक को सरिये व धारदार हथियार से मारपीट कर चोटें पहुंचाने का आरोप बताया गया है।

दौरान विवेचना चुटैल अलीम का बयान अंतर्गत धारा 180 बीएनएसएस विवेचक द्वारा अंकित किया गया है जिसमें उसने अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए यह भी कहा है कि उसका व मौहम्मद कैफ व चांद का मकान आमने सामने है बीच में मात्र 6–7 फिट की गली है। उसके मकान के सामने गली पर

उनकी करीब 15–20 वर्ग गज की जगह है जिसमें लैट्रिन बना रखी है। उसी जगह पर अभियुक्तगण कब्जा करना चाहते हैं और अपने घर का रास्ता खोलना चाहते हैं। उसके पिता ने इस संबंध में सिविल जज, जूनियर डिविजन, मुजफफरनगर के न्यायालय में वाद दायर कर रखा है। चुटैल ने यह भी कहा है कि दिनांक 15.04.2026 को वह समय करीब सात बजे शमा अपने घर में अपनी मां व भाभी रिहाना व बच्चों के साथ बैठा था । उसके सामने रहने वाले मौ. कैफ अपनी मां जीनत के साथ उनके दरवाजे के सामने खडा होकर उसके अब्बू शफीक को मां बहन की गालियां देते हुए कह रहा था कि वे अपने घर का दरवाजा उनके सामने ही निकालेंगे। चुटैल ने कहा कि उस जगह का मामला कोर्ट में चल रहा है जो कोर्ट का आदेश होगा वे उसे मान लेंगे। इस पर मौ. कैफ अपने साथ सिराजुददीन, सुएब, चांद, समसुददीन को लेकर उसके घर में घुस आया और सभी उसके साथ मारपीट करने लगे। सिराजुददीन, सोएब व चांद ने उसे पकड लिया और कैफ ने जान से मारने की नीयत से उसके सिर में सरिया मारा और सिरजुददीन ने बलकटी से वार किया जिससे उसका सिर फट गया। बैठक में बैठी उसकी मां के साथ जीनत व सन्नो ने भी मारपीट की।

विवेचना के अनुक्रम में विवेचक के द्वारा चुटैल अलीम मलिक की चिकित्सीय परीक्षण आख्या संकलित कर केस डायरी का भाग बनाया गया है जिसके अनुसार उसके शरीर पर निम्नलिखित चोटें आना अंकित किया गया हैः–

1. I.W. of size 3.5 x 0.5 cm x scalp deep over right side parietal region of head, 9 cm above from right ear at 12' clock position. Fresh bleeding present and KUO.
2. L.W of size 4.5 x 0.5 cm x scalp deep over top of skull crossing midline 11 cm above from root of nose surrounding swelling of size 6 cm x 3 cm and KUO.
3. TS of size 4 x 2 cm present over left side forehead, 2 cm above from root of nose.
4. TS of size 3 x 2 cm present over mid of nose and KUO.
5. Redish contusion of size 6 x 2 cm over left side of chest, 3 cm above from left nipple.
6. TS of size 9 x 4.0 cm over top of left shoulder and KUO.
7. Redish contusion of size 6 x 2 cm over left side anterior ...thigh

BP 132/82, SPO2 98%, PR 90/min

चिकित्सीय परीक्षण आख्या के अनुसार चोट संख्या 1, 2, 4, 6 को जेरे निगरानी रखा गया था तथा अन्य चोटों को साधारण प्रकृति की बताया गया है।

विवेचक द्वारा जेरे निगरानी रखी गयी चोटों के संदर्भ में तैयार पूरक आख्या को केस डायरी का भाग बनाया गया है, जिसके अनुसार चुटैल अलीम मलिक को fracture of nasal bone seen अंकित किया गया है। चुटैल की किसी भी चोट को प्राणघातक नहीं बताया गया है। जिस कथित स्थान को लेकर झगडा होना कहा गया है उसके संबंध में न्यायालय में वाद विचाराधीन होना कहा गया है।

संबधित थाने की आख्या के अनुसार आवेदकगण/अभियुक्तगण को मुकदमा अपराध संख्या 38 सन 2026 अंतर्गत धारा 191 (2), 191(3), 190, 115(2), 351(3), 352, 333 भारतीय न्याय संहिता में वांछित होना बताया गया है। वादी मुकदमा की ओर से आवेदक/अभियुक्त चांद का अन्य आपराधिक इतिहास मुकदमा अपराध संख्या 2079 सन 2013 अंतर्गत धारा 25/4 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली पर दर्ज होना तथा वाद संख्या 2821 सन 2022 सरकार बनाम चांद अंतंर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट लंबित होना तथा इसके अलावा उसके विरूद्व अपराध संख्या 38 सन 2026 धारा 191 (2), 191 (3), 190, 115 (2), 351 (3), 352, 333 भारतीय न्याय संहिता थाना रतनपुरी पर पंजीकृत है। जवाब में आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से अपराध संख्या 38 सन 2026 के संबंध में कहा गया है कि उक्त मामला वादी मुकदमा के परिवार की रिहाना द्वारा घटना के चार माह बाद प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी।

अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, गुण दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना, अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत किये जाने का पर्याप्त व युक्ति–युक्त आधार मौजूद है। तद्नुसार अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदकगण/अभियुक्तगण **शमशुददीन पुत्र सलीमुददीन, शुएब पुत्र सलाउददीन, चांद पुत्र सलीमुददीन** को अंतर्गत अपराध संख्या–56 सन 2026 धारा–109 (1), 191 (2), 191(3), 115(2), 351(3), 352, 333 भारतीय न्याय संहिता थाना रतनपुरी जनपद मुजफ्फरनगर के मामले में उसके द्वारा अंकन 50,000/– 50,000/– पचास पचास हजार रूपये की दो विश्वसनीय प्रतिभू एवं समान धन. राशि का व्यक्तिगत बन्ध पत्र संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के आधार पर प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तो के अंतर्गत अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है :–

1. यह कि आवेदकगण/अभियुक्तगण विवेचक/न्यायालय द्वारा तलब किये जाने व नियत की गयी तिथियों पर उपस्थित होंगे तथा विचारण में सहयेाग करेगा।

2. यह कि आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति को कोई उत्प्ररेणा, धमकी या वचन नहीं देंगे, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिये मनाया जा सके।

3. यह कि आवेदकगण/अभियुक्तगण न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोडेगा।

4. यह कि आवेदकगण/अभियुक्तगण बंध पत्र की शर्तो का कठोर पालन करेंगे।

(क) ऐसे व्यक्ति इस आशय के अधीन निष्पादित बंध पत्र की शर्तो के अनुसार हाजिर होगा।

(ख) ऐसे व्यक्ति उस अपराध जैसा, जिसको करने का उन पर अभियोग या सन्देह है, कोई अपराध नहीं करेगा।

(ग) ऐसे व्यक्ति उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिये मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरण नहीं करेंगे, धमकी या वचन नहीं देंगे या साक्ष्य को नहीं बिगाडेगा।

5. आवेदकगण/अभियुक्तगण बंध पत्र दाखिल करेगा–''अभियुक्त विचारण के पूर्ण होंनें के छह माह के अन्दर यदि उच्चतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किसी अपील या याचिका में न्यायालय द्वारा नोटिस जारी होता है, तो न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।''

6. आवेदकगण/अभियुक्तगण विवेचना/विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

7. आवेदकगण/अभियुक्तगण इस आशय का एक बंध पत्र दाखिल करेगा कि, वह विचारण/साक्ष्य के दौरान जब भी कोई साक्षी हाजिर होगा, स्थगन नहीं लेगा। इस शर्त की अवहेलना होने पर संबंधित न्यायालय को यह अधिकार होगा कि, संबंधित न्यायालय अभियुक्त द्वारा जमानत की स्वतंत्रता के दुरूपयोग के कारण उसके विरूद्व विधिसम्मत आदेश पारित करे।

(बीरेन्द्र कुमार सिंह)

दिनांकः **10**.07.2026

सत्र न्यायाधीश,
मुजफ्फरनगर